न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **63/2018** अपील (राजस्व)

1. श्री रूपा पिता नाना कालबेलिया, निवासी लदाना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती प्रेमी बाई पत्नि किशना कालबेलिया, निवासी लदाना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार सनवाड़, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट विरूद्ध आदेश उप तहसीलदार सनवाड़ दिनांक 07.09.18 मुकदमा नम्बर 79/2018 ना.क.

उपस्थित : 1. श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री मनोज कुमार पॅवार, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः—18.06.2019

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लदाना के आराजी संख्या 1770/1661 रकबा 9.07 बीघा भूमि अपीलान्टगण ने क्रय की तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट संख्या 1 की पत्नि चम्पाबाई व अपीलान्ट संख्या 2 के नाम खातेदारी में दर्ज हैं। लेकिन अपीलान्ट का कब्जा आराजी संख्या 1153, 1154, 1155 चारागाह पर सन् 1970 से पूर्व का होकर अपीलान्ट का उक्त आराजी पर पक्का मकान बना हुआ है जिसमें अपीलान्ट व उसके परिवार वाले निवास कर रहे है तथा उक्त आराजी को अपीलान्ट ने काफी आवादान की हैं। जिस पर ग्राम पंचायत वासनीकला द्वारा ग्राम सभा दिनांक 25.04.1986 को यह प्रस्ताव लिया गया कि अपीलान्ट के खातेदारी की आराजी संख्या 1770/1661 रकबा 9.07 बिघा भूमि समस्त ग्रामवासियों के पशुओं के चरने के लिये छोड़ दी जावें तो उक्त चारागाह भूमि पर अपीलान्ट ने कुएॅ खोद रखे है तथा 100—150 परिवार उक्त

भूमि पर पक्का मकान बनाकर निवास कर रहे है इसलिये उक्त चारागाह भूमि से अपीलान्ट को बेदखल नहीं करने का ग्राम सभा में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिया गया तथा उक्त ग्रामवासियों व भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी हल्का तथा तत्कालीन सरपंच द्वारा मौका पर्चा भी बनाया गया था। इस तरह उक्त प्रस्ताव अनुसार अपीलान्ट ने अपनी अन्य कब्जेशुदा भूमि से कब्जा खाली कर दिया तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा आश्वासन दिया गया कि अपीलान्ट के कब्जे की चारागाह भूमि की किस्म परिवर्तन कराकर अपीलान्ट के नाम नियमन करायी जावेगी। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा किस्म परिवर्तन की कार्यवाही नहीं की गई जिससे उक्त आराजीयात चारागाह होने से अपीलान्ट को गलत नोटिस दिया गया हैं। जबकि उक्त आराजीयात पर ग्राम पंचायत की सहमति व ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये प्रस्ताव से कब्जा अपीलान्ट का चला आ रहा है जो अपीलान्ट के नाम नियमन होने योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कथित प्रकरण में जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई विधिवत अवसर दिये बिना कथित आदेश पारित करने में भारी भूल की हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने कथित प्रकरण में मौके की जॉच किये बिना मनमकसुद तरीके से बेदखल करने का आदेश पारित करने में भूल की हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट का नाजायज कब्जा बताकर फसल की निलामी 1700/– रूपये में की जाना बताकर 1700/– रूपये वसुल करने के आदेश भी गलत दिये गये हैं। मौके पर उक्त आराजीयात में अपीलान्ट के मकान बने हुए है जिसके फोटो भी इस अपील के साथ पेश किये जा रहे है जिसके संबंध में अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया हैं। अपीलान्ट व उसके परिवार का जीवन निर्वाह इसी जमीन पर आधारित हैं। अपीलान्ट निम्न काश्तकार है तथा अपीलान्ट का पुराना कब्जा होने से काबिल नियमन योग्य होते हुए भी बेदखली के आदेश देने में भारी भूल की हैं। अपीलान्ट का उक्त आराजीयात पर नाजायज कब्जा नहीं है व ग्राम पंचायत की सहमति से काबिज है तथा इस जमीन के एवज में मवेशियो के चरने के लिये अपीलान्ट ने अपनी अन्य कब्जेशुदा जमीन छोड़ रखी है जिस पर ग्रामवासियो के मवेशी चरते चले आ रहे हैं। कथित प्रकरण में पेशी दिनांक 07.09.18 नियत थी उस दिन उपस्थित अपीलान्ट को कहा गया कि बाद में आदेश होने की सूचना कर देंगे। लेकिन बाद में कथित आदेश की कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी गई व पटवारी हल्का द्वारा कथित आदेश होने की सूचना दिनांक 09.10.18 को दी गई तो अपीलान्ट ने उसी दिन अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर कथित आदेश की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसी दिन नकल प्राप्त की। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का कथित आदेश निरस्त फरमाया जावें तथा विवादीत भूमि अपीलान्ट के नाम नियमन फरमायी जावें।

अपील मेमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानुन मयाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

उपस्थित अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पक्का मकान बना हुआ हैं जिसमें मय परिवार निवास करता हैं। ग्राम पंचायत वासनीकला द्वारा ग्राम सभा दिनांक 25.04.86 को यह प्रस्ताव भी लिया गया था कि जिस भूमि पर अपीलान्ट मकान बनाकर निवास कर रहा है उक्त भूमि से बेदखल नहीं कर अन्य भूमि से कब्जे हटाये जावें। निवासरत भूमि कि किस्म परीवर्तन कराकर अपीलान्ट के नाम नियमन करायी जावेगी। जो कार्यवाही भी आजदिनांक तक नहीं हुई हैं। अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत की सहमति व लिये गये प्रस्ताव के अनुसार ही कब्जा चला आ रहा है जो नियमन योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई विधिवत अवसर नहीं दिया गया। बिना अवसर दिये ही कथित आदेश पारीत कर दिया गया। मौके की जॉच भी नहीं की गई व बेदखली के आदेश पारीत कर दिये गये। अपीलान्ट के परीवार का जीवन निर्वाह इसी जमीन पर आधारीत हैं। अपीलान्ट निम्न काश्तकार हैं। कब्जा पुराना होने से काबिल नियमन योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 2352/81 नाजायज कब्जा अनवानी रिपोर्ट पटवारी हल्का वासनी बनाम तुलसी पत्नि नाना कालबेलिया में निर्णय दिनांक 27.01.82 को यह आदेश पारित किया गया कि अतिक्रमित भूमि का रकबा 15 बिघा चरनोट से कमी कर बिलानाम दर्ज करा अतिक्रमी को आवंटित कराया जावें। प्रस्ताव श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को प्रेषित किया जावें। ग्राम पंचायत वासनी द्वारा भी इस भूमि को आबादी में लिये जाने हेतु बैठक दिनांक 25.04.86 से यह प्रस्ताव लिया गया था कि कालबेलिया परिवारो का यह भूमि आवंटित की जावें। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर के प्रकरण संख्या 218/83 निर्णय दिनांक 23.03.84 से भी तहसीलदार का आदेश अपास्त किया जाकर शहादत सबुत का अवसर देकर स्थल निरीक्षण कर विधिवत आदेश पारीत किये जाने हेतु प्रकरण पुनः प्रेषित किया गया। हमारे पुर्वाधिकारीयो को विकास अधिकारी मावली द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख के पट्टे भी दिनांक 30.12.74 को जारी किये गये हैं। वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्टगणो का कब्जा काफी पुराना होकर मौके पर मकान बने हुए हैं। निर्णय से पुर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्थल निरीक्षण भी नहीं किया गया। पटवारी हल्का द्वारा भी अपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा छपे छपाये फार्म पर आदेश जारी किया गया है ऐसे

आदेश को स्पीकिंग आदेश नहीं कहा जा सकता हैं। ऐसा आदेश शुन्य प्रभावी हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का कथित आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं विवादीत भूमि अपीलान्ट के नाम नियमन फरमायी जावें।

विद्ववान अधिवक्ता राज्य द्वारा उपस्थित होकर अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अतिक्रमित भूमि चारागाह की हैं। जिसका उपयोग मात्र पशुओ की चराई हेतु किया जा सकता हैं। बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के चरागाह भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजनार्थ नहीं लिया जा सकता हैं। ग्राम पंचायत वासनीकला द्वारा अपनी ग्राम सभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लिया भी गया है तो जब तक ऐसे प्रस्ताव पर स्वीकृति सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा देय नहीं हो तब तक ऐसे प्रस्ताव को किसी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हैं। जबकि अपीलान्ट द्वारा कुल 17.13 बिघा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा काश्त किया गया हैं। बिना स्वीकृति के पक्का मकान बना लिया गया हैं। अपीलान्ट का अतिक्रमण सन् 1970 से पूर्व का नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी अतिक्रमित भूमि को किसी भी प्रचलित नियमो में नियमन नहीं किया जा सकता हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित भूमि पर कब्जा सन् 1970 से पूर्व का होना बताया गया है जिससे अतिक्रमित भूमि का नियमन किया जावें। अपने कथनो की ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे यह साबित होता हो कि अतिक्रमित भूमि पर कब्जा सन् 1970 से पूर्व का हैं। अपीलान्ट का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है कि ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा दिनांक 25.04.86 को प्रस्ताव पारीत कर अतिक्रमित भूमि को छोड़कर शेष से कब्जा हटाये जाने बाबत् प्रस्ताव लिया गया। ऐसा दस्तावेज सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतिक्रमित भूमि चारागाह भूमि हैं। जिसका उपयोग पशुओ की चराई के लिये ही हो सकता है। बिना राज्य सरकार की स्वीकृति लिये इसे अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जा सकता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार सनवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.18 को सभी तथ्यो को पूर्णतया भलीभांती अवलोकन कर पारित किया गया हैं। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी किया जाना दृष्टिगत नहीं होता हैं। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती हैं और

अपील अपीलार्थी में कोई बल नहीं होने से अपील खारीज किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बहाल रखा जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली उपतहसीलदार सनवाड़ को प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर